

रिपोर्ट पटवारी, बागड

व भू.अ. निरीक्षक कोर्ट

तहसील रायपुर

मोहनराज निवेदन है कि ग्राम अलामली पंच. कोर्ट में जमाबंदी सम्वत् 2052 नं 205 में लत्काहीन खतेहर उंगरसिंह पि उदयसिंह राजपूत की फौदगी से जेठवरसिंह पुणसिंह पि हमीरसिंह नाबा पुणसिंह संखकमाता सोहनकेवर केवा हमीरसिंह जगसिंह पि उंगरसिंह पु वसुंतकेवर केवा उंगरसिंह के नाम दर्ज हुए। उक्त खातेदारों में से एक खतेहर सोहन केवर केवा हमीरसिंह का नाम सेखनु से जमाबंदी सम्वत् 2057 नं 2076 में मोहन केवा हमीरसिंह दर्ज ही जमाजो गलत है। तत्समय से मोहनकेवर केवा हमीरसिंह और निस खलाश रखा है। धन: ग्राम अलामली पंच. बागड की जमाबंदी 2076 नं 79 में खलाश. 36 में दर्ज खतेहर का नाम मोहनकेवर पति हमीरसिंह 1/2 के बजाय सोहनकेवर पति हमीरसिंह 1/2 दर्ज करने हेतु रिपोर्ट पटवारी खजाना IPR शक्ति आश्वास्य फरमा है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नियंत्रक तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी व जलियां I.P.R अलामली सुडि की जाग

उचित है 2/12/21
I.P.R. Raipur



आदेश

तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं सलगन दस्तावेजों के अवलोकन किया, ग्राम अलामली पंच. बागड की जमाबंदी में 2076 नं 2079 के खा.सं. 36 किं. 13 रकबा 3-29 एक. में शासकीय में सह खातेदार सोहन केवर के बजाय मोहन केवर हो गया जिसे पुनः केवर के बजाय सोहन केवर पति हमीरसिंह राजपूत के नाम दर्ज करवाने की स्वीकृति दी जाती है, इसी अनुसार रिकार्ड में इन्गान किया जा

मुखण्ड अधिकारी
रायपुर (नियंत्रक)
18/10/2021

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)


अनवान

सोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956

मु0नं0 39 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक- 18-10-2021	<p>प्रार्थीया सोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम झलामली के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2076-2077 में खाता संख्या 36 में किता 13 रकबा 3.29 है0 भूमि प्रार्थीया मोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत सा. देह के नाम पर सहखातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया सोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत सा. देह के बजाय मोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत सा. देह अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम सोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत सा. देह है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम झलामली के खाता संख्या 36 में खातेदार मोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत सा. देह के बजाय सोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत सा. देह दुरुस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरुस्ती करने की अभिशंषा की गई।</p> <p>अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार मोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत सा. देह के बजाय सोहनकंवर पत्नि हमीरसिंह राजपूत सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> 18.10.2021 (सुन्दर लाल बागोडा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा रायपुर</p>